भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
भूमि और विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 24(487)/2002-सीडीएन दिनांक 3.12.2002

कार्यालय आदेश सं. 12/2002

विषयः पट्टा/हस्तांतरण विलेख के पुनर्वैधीकरण – अनुदेश के संबंध में।

पंजीयक महानिरीक्षक, दिल्ली से प्राप्त कार्यालय आदेश सं. 6/98 दिनांक 10.7.98 और परिपत्र दिनाकं 13.8.2002 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है (प्रति संलग्न)।

विधि मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि जहां इस कार्यालय द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/अनुपूरक पट्टा विलेखों को पट्टाधारक/जीपीए द्वारा किसी कारणवश निष्पादन की तारीख से 4 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं कराया जा सका है, पहले ही निष्पादित विलेखों के पृष्ठांकन (पद्धति जिसका इस कार्यालय में अब तक अनुसरण किया जाता था) की बजाए पट्टाधारक/जीपीए दस्तावेज के पुनर्वैधीकरण, नए पट्टा विलेख/ हस्तांतरण विलेख/अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित किए जाएंगे। पहले निष्पादित दस्तावेज (जो पंजीकृत नहीं कराए जा सके), वापस लिए जा सकते हैं और निरस्त किए जा सकते हैं।

यह भी निर्णय किया गया है कि पुनर्वैधीकरण प्रभार न्यूनतम 50 रुपए के अध्यधीन देय स्टांप ड्यूटी की 25 प्रतिशत की दर पर हमेशा की तरह जारी रहेगा।

यह विधि, न्याय और कंपनी मामले मंत्रालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(वी. श्रीकुमार)
जन संपर्क अधिकारी